कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

e-mail:nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक— 448 / FP/UK/MIN/154581/2021 :देहरादूनः दिनांकः 16 अगस्त, 2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।

विषयः— जनपद चम्पावत के अन्तर्गत शारदा नदी से उपखनिज चुगान हेतु 384.69 है0 का उत्तराखण्ड वन विकास को 10 वर्षो हेतु अनुमति दिये जाने के सम्वन्ध में।

संदर्भः—आपका पत्रांक 166/12—1 (2) दिनांक 03.08.2022।

महोदय,

आपका उक्त विषयक सन्दर्भित पत्र ऑनलाईन इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा प्रकरण में भारत सरकार के पत्र दिनांक 13.05.2022 के अनुपालन में सूचना प्रेषित की गयी है। प्रेषित की गयी सूचना अपूर्ण है। उक्तानुसार सूचना मूल प्रति में मय संलग्नकों के ऑनलाईन/ऑफलाईन इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जानी है। प्रेषित की गयी सूचना में निम्न प्रकार अपूर्णतायें पायी गयी हैं:—

1. (i) क्षतिपूरक वृक्षारोपण की KML file की सी0डी0 उपलब्ध नहीं करायी गयी है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सन्वन्धित सूचना किस स्थान पर अपलोड की गयी है का विवरण पत्र में स्पष्ट नहीं किया गया है।
2. (ii-b) के सम्वन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंघन के सम्वन्ध में टिप्पणी प्रस्तुत की जानी है।
3. (ii-c) के सम्वन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है।
4. (ii-d) के सम्वन्ध में तत्कालीन मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रेषित किया जाना अपेक्षित है।
5. (iii-a) के सन्वन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंघन के सम्वन्ध में टिप्पणी प्रस्तुत की जानी है।
6. (vi) के सम्वन्ध में लागत लाभ अनुपात का विवरण ऑनलाईन अपलोड किया जाना है।
7. उपरोक्त के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा वांछित सूचना विन्दुवार मय संलग्नकों के हार्ड प्रति उपलब्ध करायी जानी है।

अतः उपरोक्त वर्णित कमियों का निराकरण संबधित प्रभागीय वनाधिकारी/प्रस्तावक विभाग के स्तर से पूर्ण करते हुये अपनी संस्तुति सहित सूचना/आख्या इस कार्यालय को ऑनलाईन/ऑफलाईन 03 मूल प्रतियों में यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(ए0के0 गुप्ता)
वन संरक्षक

संख्या :— 448 / FP/UK/MIN/154581/2021 दिनांकित।

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी को इस आशय के साथ प्रेषित कि प्रस्ताव में इंगित कमियों का प्रस्तावक विभाग से पूर्ण निराकरण करवाकर प्रस्ताव यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।
2. क्षे0प्र0/प्रभागीय लॉगिंग प्रवन्धक (खनन), उत्तराखण्ड वन विकास निगम, टनकपुर चम्पावत को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त प्रस्ताव में इंगित कमियों के निराकरण कर सूचना सम्वन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/वन संरक्षक के माध्यम से मूल प्रति में मय संलग्नकों के इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

(ए0के0 गुप्ता)
वन संरक्षक

Rohit PD Dadwo